न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 85/2020

1. बीरजलाल पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा त0 भादरा।
2. मनीराम पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा त0 भादरा।

:— वादीगण

ब ना म

1. मघाराम पुत्र बीन्झाराम जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा त0 भादरा।
2. जगदीश पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा त0 भादरा।
3. ओमप्रकाश पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा त0 भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री ताराचन्द मोठसरा : वादीगण
वकील श्री दलीप सहू : प्रतिवादीगण

दिनांक : 26-02-21

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा रामपुरा के खाता स0 61/53 के खसरा स0 4 की 5.375है0 खसरा स0 68 की 13.418है0 कुल 18.793है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी स0 1 मघाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो मघाराम की पैतृक सम्पति थी। उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 मघाराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादीगण एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादीगण अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। व प्रतिवादी सं 4 को वकील वादी द्वारा तर्क अंकित किया गया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यू बीरजलाल पुत्र मघाराम जाति जाट के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि [illegible] प्रमाण पत्र प्रदर्श 1, चालू जमाबंदी प्रदर्श 2, जमाबंदी सवंत 2029—38 [illegible] विभाग प्रदर्श 4—5, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 6, शपथ पत्र मय वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 7, इंतकाल प्रति प्रदर्श 8 प्रदर्शित करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:34:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

Scanned with CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। वादीगण के विद्वान वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि पूर्व में दिनांक 23.08.2018 को वाद वादीगण साबित नहीं होने के कारण खारिज किया गया था जिसके चलते उक्त पत्रावली दिनांक 24.12.2019 को राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ से रिमाण्ड होकर साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देकर निर्णय पारित करने के आदेश के साथ इस न्यायालय को प्राप्त हुई। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने रोही रामपुरा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादीगण ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि भूमि प्रमाण पत्र प्रदर्श 1, चालू जमाबंदी प्रदर्श 2, जमाबंदी संवत 2029–38 प्रदर्श 3 जमाबंदी भू प्रबन्धक विभाग प्रदर्श 4–5, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 6, शपथ पत्र मय वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 7, इंतकाल प्रति प्रदर्श 8 प्रदर्शित करवाये। जिसमें प्रदर्श 8 इंतकाल दिनांक 09.10.1977 को जरिये विरासतन प्रतिवादी मघाराम को उक्त भूमि प्राप्त होना अंकित है तथा प्रदर्श 6–7 में वारिस प्रमाण के अनुसार मघाराम के चार पुत्र बीरजलाल, मनीराम, जगदीश ,ओमप्रकाश व इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 का जन्म से हक हिस्सा निहित है इस प्रकार वाद भूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रामपुरा के खाता स0 61/53 के खसरा स0 4 की 5.375है0 खसरा स0 68 की 13.418है0 कुल 18.793है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी स0 1 मघाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 मघाराम की बजाय वादीगण व प्रतिवादी स0 1 ता 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी स0 01 बीरजलाल वादी स0 02 मनीराम प्रतिवादी स0 01 मघाराम प्रतिवादी स0 02 जगदीश प्रतिवादी स0 03 ओमप्रकाश को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26-02-21.... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:34:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 85/2020

1. बीरजलाल पुत्र मघाराम जाति जाट निवारी घोटडा खालसा त0 भादरा।
2. मनीराम पुत्र मघाराम जाति जाट निवारी घोटडा खालसा त0 भादरा।

:— वादीगण

ब ना म

1. मघाराम पुत्र वीन्झाराम जाति जाट निवारी घोटडा खालसा त0 भादरा।
2. जगदीश पुत्र मघाराम जाति जाट निवारी घोटडा खालसा त0 भादरा।
3. ओमप्रकाश पुत्र मघाराम जाति जाट निवारी घोटडा खालसा त0 भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री ताराचन्द मोठसरा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री दलीप सहू की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी सावित होने के कारण मुताविक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रामपुरा के खाता स0 61/53 के खसरा स0 4 की 5.375है0 खसरा स0 68 की 13.418है0 कुल 18.793है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी स0 1 मघाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 मघाराम की वजाय वादीगण व प्रतिवादी स0 1 ता 3 वहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। व यदि कृषि भूमि वैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी स0 01 बीरजलाल वादी स0 02 मनीराम प्रतिवादी स0 01 मघाराम प्रतिवादी स0 02 जगदीश प्रतिवादी स0 03 ओमप्रकाश को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26-02-21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:34:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner